सं: 3648 / नौ–6–95–38मिस / 95

प्रेषक,

आर. बी. भाष्कर,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 95

विषयः नागर स्थानीय निकायों की उपविधियों का गजट में प्रकाशन

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 (उ. प्र. अधिनियम सं. 26 सन् 1995) के खण्ड 21 और 50 (प्रतिलिपि संलग्न) में क्रमशः नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 544 और नगरपालिका अधिनियम की धारा 301 में यह प्राविधान किया गया है कि यथास्थिति नगर निगमों नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा बनाये गये विनियम और उपविधियाँ सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि अब राज्य सरकार अथवा मण्डलायुक्त का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो भी विनियम अथवा उपविधियाँ प्रदेश के नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों से प्राप्त हों, उन्हें सरकारी गजट में पूर्व व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह.
आर. बी. भाष्कर
सचिव

संख्याः 3648 (1)/नौ–6–95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नागर स्थानीय निकायें, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।

आज्ञा से,

ह.

आर.बी. भाष्कर

सचिव